नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक.....
060101

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 1720 दिनांक 16-7-19

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश, आगरा

उत्तर प्रदेश सरकार

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 678 पत्रावली संख्या एजी–24610 दिनांक 1999-2000

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि .....स्वराज्य एजूकेशनल एण्ड..... वेलफेयर सोसाइटी, पता–2/363 नामनेर माल रोड़, आगरा। .....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 838/1999–2000 .....दिनांक 14-07-1999 ..... को दिनांक 14-07-2019 ..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000 .....रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक..... 15-07-2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सो० फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क०/टी०/आफसेट)।

संख्या 2463
31/7/14

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीकरण संख्या 745 2014-15

फाइल संख्या Ag-24610

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि स्वराज एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, पता-02/363 नामनेर मालरोड आगरा। को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 838/1999-2000 दिनांक 14/7/1999 को दिनांक 14/07/2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1000/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 31/7/2014

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 6 फर्म्स नियन्त्रक–1.12.2009–(419)–2,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

NOTARY
PAWAN KUMAR
Advocate
GOVT. OF INDIA

आगरा

संशोधित नियमावली

1—संस्था का नाम— स्वराज्य एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी ।

2—संस्था का पता— 2/363, नामनेर, माल रोड, आगरा ।

3—संस्था का कार्यक्षेत्र— समस्त उ0प्र0 होगा ।

4—संस्था के उद्देश्य— संलग्नक स्मृति पत्र के अंकितानुसार ही होंगे ।

5—संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग—

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होगें एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेगें । जो निम्न वर्ग के होगें —

संरक्षक सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/—रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें ।

आजीवन सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को एकमुश्त 500/—रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें ।

सामान्य सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को 250/—रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेगें वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होगें ।

विशिष्ट सदस्य— ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा । ऐसे सदस्यों की संख्या एक समय में पॉच से अधिक न होगी ।

6—सदस्यता की समाप्ति—1—सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

2—आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

3—किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।

4—सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।

5—संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।

6—किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।

7—सदस्य द्वारा त्याग—पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7—संस्था के अंग— (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति ;

8—साधारण सभा— (अ) गठन— साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा ।

(ब) बैठकें— साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि–साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द)गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि–संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ) गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारणसभा में से बहुमत से 10 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें। कार्यकारिणी समिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकता नुसार घटाई या बढाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 होगी।

(ब)बैठकें–प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द)गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य)रिक्त स्थानों की पूर्ति–प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।

2– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

5–संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना ।

(ल)कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का कार्यकाल पॉच वर्ष होगा ।

10—पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य—

अध्यक्ष— 1—संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।
2—कोरम के अभाव में मीटिंग स्थिगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
3—संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।
4—संस्था की सम्पत्तियों तथा कोषों की देखभाल करना ।

उपाध्यक्ष— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना।

सचिव— 1—संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
2—संस्था के कार्यकमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।
3—संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यताशुल्क प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।
4—संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
5—संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों की पूर्ण व्यवस्था व उसके लिये कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान सुनिश्चित करना ।
6—संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक अभिलेखों बिल—बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।
7—विगत वर्ष के वित्तीय खातों तथा आगामी वर्ष के बजट को स्वीकृत कराने के लिये समिति की बैठक में प्रस्तुत करना ।
8—संस्था कोष को बैंक अथवा बैंकों या अन्य लाभकारी स्थानों पर निवेश कराना तथा अपने निरीक्षण में हिसाब की व्यवस्था करना ।
9—संस्था के कार्यो की छमाही प्रगति व आय—व्यय के विवरण से समिति को परिचित कराना एवं उसकी स्वीकृति प्राप्त करना ।
10—आवश्यकतानुसार समय—समय पर संसथा द्वारा संचालित विद्यालयों की उन्नति के लिये अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों अन्य शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों व अन्य जन अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना ।
11—संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपसचिव— संस्था के सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष— 1—संस्था के आय—व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय—व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।
2—संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं प्राप्त अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।
3—सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल बाऊचरों का भुगतान करना।

कार्यकारिणी सदस्य–

कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लेना अपनी राय देना, मतदान करना तथा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यो को करना ।

11–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया–

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0रजि0अधि0 की संगत धारा के अर्न्तगत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12–संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था–संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जावेगा । जिसका संचालन संस्था के सचिव एवं अध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष में से कोई एक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

13–संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)– संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

14–संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व– संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15–संस्था के अभिलेख:– 1–सदस्यता रजिस्टर । 2–कार्यवाही रजिस्टर ।
3–एजेण्डा रजिस्टर । 4–लेजर, कैशबुक, रसीदबुक आदि ।

16–प्रतिबन्ध– (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षापरिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन कई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें ।

कमशः——5 पर

(5) संस्था के शिक्षण शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा–105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।

(10) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा ।

17–संस्था का विघटन–संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–13 व 14 के अर्न्तगत की जावेगी ।

दिनॉक– 14-1-07

सत्यप्रतिलिपि

प्रमोद कुमार

27-1-07

27/1/2007

NOTARY
PAWAN KUMAR
Advocate
Regd. No. 2323/02
INDIA

6

स्वराज्य एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, 2/363, नामनेर, माल रोड, आगरा की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष–2012–2013

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्री राधारमन गौतम पुत्र स्व0श्री सी0एच0 गौतम	37 मीना एन्क्लेव दयालबाग	अध्यक्ष	नौकरी
2–श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्रश्री चिरंजीलाल अग्रवाल	2/363, ए नामनेर मालरोड आगरा	उपाध्यक्ष	व्यापार
3–श्री विजय कुमार गुप्ता पुत्रश्री सी.एल. गुप्ता	2/363, माल रोड नामनेर आगरा	सचिव	नौकरी
4–श्री अनिल वर्मा पुत्र स्व0श्री श्यामलाल वर्मा	64, इन्द्रधनुष कालोनी दयालबाग आगरा	उपसचिव	नौकरी
5–श्री केशर सिंह पुत्र स्व0श्री करन सिंह	ग्राम चमरौली पो0 बरौलीअहीर राजपुर आगरा	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6–श्रीमती मन्जू गुप्ता पत्नीश्री वी0के0 गुप्ता	2/363, ए नामनेर माल रोड आगरा	सदस्य	गृहकार्य
7–श्री अशोक कुमार अगव्राल पुत्रश्री रामजीलाल अग्रवाल	7, लता कुन्ज सोंठ की मण्डी आगरा	सदस्य	व्यापार
8–श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्वश्री बी0एल0 गोयल	बी–53, द्वारिका ग्रीन रोहता आगरा	सदस्य	व्यापार
9–श्री शंकरलाल गुप्ता पुत्रश्री रामदास गुप्ता	30/5, रंगरेजन गली राजामण्डी आगरा	सदस्य	सर्विस
10–श्रीमती शिल्पा पत्नीश्री ए0के0 गुप्ता	6, लता कुन्ज सोंठ की मण्डी आगरा	सदस्य	गृहकार्य

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

NOTARY
PAWAN KUMAR
SHARMA, Advocate
Dist. AGRA
Regd. No. 2323/02
GOVT OF INDIA

स्मृति–पत्र

1–संस्था का नाम– **स्वराज्य एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी ।**

2–संस्था का पता– 2/363, नामनेर, माल रोड, आगरा–1.

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उ0प्र0 होगा ।

4–संस्था के उद्देश्य–

1– संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयो की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, विकास कर उन्हे योग्य बनाना ।

2– संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र मे प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर कालेज व आवश्यकता होने पर डिगी कालेज की स्थापना कर उसका विधिवत संचालन करना ।

3– शिक्षा विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज की स्थापना करना तथा निशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक–युवतियो को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।

4– संस्था का उद्देश्य निर्धन, अनाथ अपंग बच्चो को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था तथा उन्हे छात्रवृत्तियाँ दिलाना व उनकी सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, कौशलकेन्दो की स्थापना करना ।

5– संस्था का उद्देश्य बच्चो को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हे निशुल्क तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हे आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना । व राष्ट्र विकास मे सहयोग करना ।

6– संस्था का उद्देश्य शिक्षा विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण बोर्ड एवं अन्य सम्बन्धित विभागों/ मंत्रालयों/बैंक के वित्तीय सहयोग एवं ऋण से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण कारी योजनाओं को चलाना एवं उससे बच्चो एवं नागरिकों को लाभान्वित करना, प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना।

7– संस्था का उद्देश्य बच्चो मे परस्पर सहयोग एकता एवं भाईचारे की भावना पैदा करना तथा उनमें देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना ।

8– नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियो मे स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकारण, कार्यक्रमो आदि को चलाना व शिक्षा केन्दो कीस्थापनाकरना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हे जानकारी देना एवं समयसमय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

9– संस्था का उद्देश्य समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कला प्रदर्शनी, का आयोजन करना तथा प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम, मद्य निषेध कार्यक्रम, पर्यावरण रक्षा हेतु वृक्षारोपड कर्यिक्रम, चलाना ।

10– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागो के वित्तीय सहयोग से लोगो के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी कालीन, ड्राइंग पेंटिंग कला प्रशिक्षण, तथा टंकण, आशुलिपि, एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्मे तथा सोसाइटी
आगरा क्षेत्र, आगरा

NOTARY
PAWAN KUMAR
Advocate
AGRA